

## पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका

### सारांश

पर्यावरण मानव जीवन पद्धति के लिए यदि अनिवार्य अंग है तो इसका संरक्षण और बचाव भी मानव का परम कर्तव्य बन जाता है। पर्यावरण संरक्षण मानवीय जीवन के लिए अति आवश्यक विषय – वस्तु बन गया है। इस दिशा में वैश्विक एवं भारत दोनों ही स्तरों पर अनेक प्रयास एवं आन्दोलन अनवरत जारी है। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए भी उन्हें वन विभाग सेवाओं के उच्च पदों पर आसीन किया जाए तथा विभिन्न पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमों सम्मेलनों एवं पर्यावरणीय अभिकरणों में उनकी अधिक से अधिक सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं द्वारा किए गए प्रयासों का वास्तविक रूप में सहयोग मिल सके और पर्यावरण को बचाकर भारत को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व को वैश्विक तपन (ग्लोबलवार्मिंग) के बढ़ते दुष्प्रभाव से बचाया जा सके और परिणामस्वरूप एक ग्रीन एवं समृद्ध विश्व का निर्माण हो सके।

**मुख्य शब्द** : पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण एवं महिलाएँ, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान।

### प्रस्तावना

प्रकृति का निर्माण मूलतः पंचतत्त्वों से मिलकर हुआ है। ये तत्व हैं जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं प्रकृति। यही तत्व मिलकर पर्यावरण का मूल ढाँचा बनाते हैं। यह समस्त तत्व ही हमारे पर्यावरण के प्रमुख घटक और जीवन के आधारभूत स्तम्भ हैं। पर्यावरण भौतिक तत्वों, शक्तियों और परिस्थितियों का एक ऐसा समुच्चय है जिसका प्रभाव जैव-जगत के विकास चक्र पर पड़ता है। पर्यावरण की प्रमुख विशेषता इसकी साधन सम्पन्नता है और ये प्राकृतिक संसाधन ही मानव के भौतिक विकास के आधार हैं। प्राथमिक संसाधनों की उपलब्धता एवं जैव विविधता के अनुसार ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, जो सामाजिक कल्याण का आधार है। पर्यावरण प्रकृति की सहज गति है, और तकनीकी विकास के इस युग में मनुष्य प्रकृति का विजेता बनकर सभ्यता के शिखर पर खड़ा होने का दावा करता है, परन्तु मानव की उच्च महत्वाकांक्षाओं, उसकी निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या, पारिवारिक जरूरतों, औद्योगीकरण नगरीकरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के अन्धाधुन्ध दोहन ने प्रकृति एवं उसके घटकों के मध्य स्थापित सामंजस्य में हस्तक्षेप किया और प्रदूषण को जन्म दिया है। वर्तमान में मनुष्य की वैभवयुक्त एवं विलासतापूर्ण जीवन शैली ने इन परिस्थितियों को और भी गम्भीर बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण की विभीषिका और अधिक खतरनाक होती जा रही है।

### अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति महिलाओं की भागीदारी व उनके द्वारा सम्पूर्ण भारत को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की भूमिका को समकालीन समाज से जोड़े जाने का प्रयास है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों का मानव क्रिया-कलापों पर प्रभाव का ज्ञान प्रदान किया गया है। पर्यावरण के प्रति जन-चेतना जागृत करना तथा इसके प्रति अवबोध विकसित गया है। पर्यावरण और महिलाओं की पारस्परिक सम्बन्धता को बताया गया है। पर्यावरण व वन्य जीव रक्षा के पुनीत कार्यों में महिलाओं की सक्रियता से समकालीन विश्व को अवगत कराना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी द्वारा किए गए कार्यों की वर्तमान में महत्ता बतायी गई है। भारत में सुरक्षित पर्यावरण के लिए महिलाओं द्वारा किए गए विभिन्न आन्दोलनों की समकालीन समाज में प्रासंगिकता को उल्लेखित किया गया है। वर्तमान में बढ़ते हुए वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) को रोकने में पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता का स्पष्टीकरण किया गया है।



**मुकेश कुमार बगड़िया**  
शोधार्थी,  
राजनीति विज्ञान विभाग,  
राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जयपुर

**शोध पद्धति**

प्रस्तुत आलेख के अन्तर्गत वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल दिया गया है। द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए महिलाओं द्वारा किये गये आन्दोलनों के सन्दर्भ में पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों एवं गतिविधियों व उनकी डायरियों, समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तकों का अध्ययन कर चयनित विषय के लिए डाटा संग्रहित किए गए हैं तथा इसके साथ-साथ पर्यावरणविद् महिलाओं की आत्मकथाओं का विस्तृत अध्ययन करके पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका के सम्बन्ध में विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों का संकलन कर प्रस्तुत विषय पर शोध कार्य किया गया है। अतः इन स्रोतों की प्रविधियों के माध्यम से किया गया अध्ययन व्यावहारिक एवं विश्लेषणात्मक है जो कि शोध कार्यों में वैज्ञानिक वैधता स्थापित करने के साथ-साथ शोध को यथार्थ बनाने में भी सहायक है।

**साहित्यावलोकन**

गुर्जर, डॉ. रामकुमार एवं जाट डॉ. बी.सी. "पर्यावरण अध्ययन" प्रकाशन पंचशील प्रकाशन, फिल्म कॉलोनी, नवम् संस्करण 2013। इस पुस्तक में लेखक ने सम्पूर्ण जनमानस को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पर्यावरणीय नैतिकता का ध्यान दिलाते हुए बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरणीय शुद्धता तथा संरक्षण पर सर्वाधिक ध्यान दे। पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के लिए शिक्षित होना भी आवश्यक है। वर्तमान समय में सूचना तथा संचार साधनों के विकास के कारण संसार के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना चारों ओर तीव्र गति से पहुँच जाती है। इसी प्रकार विद्यालय में अध्ययनरत छोटे-छोटे विद्यार्थियों को जब शिक्षकों द्वारा गलत काम के लिए मना किया जाता है तो वे उनके प्रति सचेत हो जाते हैं तथा अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं।

परमार, सरोज "पर्यावरण, विधि एवं मानवाधिकार" प्रेमचन्द बाकलीवाल आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2011। प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने पर्यावरण संरक्षण के सन्दर्भ में बढ़ते मरुस्थलीकरण से संघर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की प्रासंगिकता से अवगत करवाया है। जिसके अन्तर्गत 18 जून 1994 को पेरिस में 100 से अधिक राष्ट्रों ने मरुस्थलीकरण से मुकाबले पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को स्वीकार किया। इसके पूर्व 1977 में रेगिस्तान के प्रसार के मुकाबले हेतु एक संयुक्त राष्ट्र योजना स्वीकार की गई थी परन्तु वह आशाओं के अनुरूप सिद्ध नहीं हो सकी। धन की कमी के अतिरिक्त इसके तकनीकी पक्ष तथा समस्या के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाना असफलता का कारण था साथ ही समूची प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था।

शर्मा, डॉ. मालती "पर्यावरण अध्ययन" शिवांक प्रकाशन, दिल्ली, 2011। इस पुस्तक में लेखिका ने बढ़ रही पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को देखते हुए बताया है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण एवं सार्थक है यद्यपि 21 वीं

सदी के प्रारम्भ में महिलाएँ सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं किंतु पुरुष प्रधानता की मानसिकता से हम आज भी ग्रस्त हैं यही कारण है कि हम आधी जनसंख्या अर्थात् महिलाओं की उपेक्षा करते आए हैं। यह तथ्य पर्यावरण अभियान एवं उसके संरक्षण पर भी लागू होता है जहाँ महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा की जा रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि महिलाएँ पर्यावरण संरक्षण में न केवल पुरुषों के समान योगदान दे सकती हैं, अपितु उनसे भी सार्थक भूमिका निभा सकती हैं। सच्चे अर्थों में महिलाएँ विशेषकर भारतीय महिलाएँ पर्यावरण को प्रदूषित हो न केवल बचा सकती हैं अपितु उसका संरक्षण करने में समर्थ हैं। भारतीय स्त्रियाँ सदियों से पर्यावरण संरक्षण करती आयी हैं, जिसका प्रमाण उनके द्वारा की जाने वाली वृक्षों, जल, भूमि, वायु, सूर्य आदि की पूजा अराधना है। जिसे धार्मिकता से अलग कर देखें तो पर्यावरण का संरक्षण है। महिलाएँ प्रकृति एवं पर्यावरण के अधिक निकट हैं और सदैव से ही उसे प्रश्रय देती रही हैं क्योंकि महिलाओं में स्नेह, प्रेम, सहृदयता, सहिष्णुता, सहयोग एवं मातृत्व की भावना विद्यमान हैं। वे न केवल शिशुओं का पालन पोषण करती हैं, अपितु प्रत्येक जीव जगत के प्रति उनका दृष्टिकोण संरक्षण का होता है।

शर्मा, डॉ. राजकुमार "पर्यावरण संरक्षण और कानून" कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2010। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मनुष्य के योगदान को आवश्यक बताया है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण एवं अविवेकपूर्ण उपयोग ने मानव समाज को खतरे में डाल दिया है। यदि इसका शोषण इसी रफ्तार से होता रहा तो मानव की उन्नति एवं उसके जीवन यापन स्तर को सम्पन्न बनाए रखना असम्भव हो जाएगा। इसका एकमात्र उपाय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है।

यादव, डॉ. वीरेन्द्र सिंह, "इक्कसवीं सदी का पर्यावरण आन्दोलन : चिन्तन के विविध आयाम" ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2010। इस पुस्तक में लेखक ने पर्यावरण संरक्षित तो जीवन सुरक्षित वक्तव्य को वर्तमान जगत के प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण मानते हुए लिखा है कि हम सभी को पर्यावरणीय सुरक्षा को एक आन्दोलन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि पूरी मानव सभ्यता का अस्तित्व इसी पर्यावरण पर निर्भर है आज प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रहने के अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए और अपने दायित्वों को समझना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं ही अपने कर्तव्यों को जानकर, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर धारण कर अधिकाधिक प्रयास कर अपने पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए। हमें इस बात की चिन्ता छोड़ देनी चाहिए कि अन्य जन क्या कर रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अथवा नहीं। कहा भी गया है कि "हम सुधरेंगे युग सुधरेगा" जब हमें स्वयं ही कर्तव्य बोध होगा, हम उसको कर्म में परिणत करेंगे तभी हम अन्य जनमानस को अपने इस पर्यावरण के प्रति सचेत कर जागरूक कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य अपने गौरवशाली अतीत का गौरव गान करना मात्र नहीं है, अपितु यह स्पष्ट करना है कि हम क्या थे क्या है,

और इसी गति से चलने पर हम कहाँ पहुँचेंगे। यथार्थ में यदि आज भी हमने सत्य को अंगीकार नहीं किया तो मानव सभ्यता से आत्मसात करना है पर्यावरण के महत्व को और निस्प्रह। निस्वार्थ भाव से, मनसा, वाचा कर्मणा शपथ लेनी है "पर्यावरण की रक्षा की"।

शर्मा, डॉ राकेश कुमार "पर्यावरण प्रशासन एवं मानव पारिस्थितिकी" राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, द्वितीय संस्करण 2010। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 को एक सकारात्मक कदम मानते हुए इस नीति के सिद्धान्तों से अवगत करवाया है यह नीति इस तथ्य से सहमत है कि केवल वही विकास अविच्छिन्न हो सकता है जिसमें पारिस्थितिकीय दबावों और न्याय की अनिवार्यताओं पर ध्यान दिया गया है।

### पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका

मानव ने अपनी भोगवादी संस्कृति के बहकावे में आकर पर्यावरण में इतनी अधिक विकृति पैदा कर दी है, कि आज प्रदूषण रूपी दानव ने विकराल रूप धारण कर लिया जो कि न केवल मानव के लिए बल्कि समस्त जीव जगत के लिए घातक सिद्ध हो रहा है और इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक मात्र उपाय है सम्पूर्ण जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। पर्यावरण संरक्षण किसी एक देश या व्यक्ति की समस्या न होकर विश्व के समस्त देशों एवं सम्पूर्ण जनमानस की साझा समस्या है जिससे निपटने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करने पड़ेंगे तभी परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे और भावी पीढ़ी को अहार स्वरूप हम स्वच्छ वातावरण दे सकेंगे जिसके लिए वह हमारे आजन्म आभारी रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण से हमारा अभिप्राय "हमें अपने चारों ओर के पर्यावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ रखने से है।" यदि मानव अपना राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृति व सामाजिक विकास एवं उत्थान करता है एवं पर्यावरण के घटक अपने प्राकृतिक रूप में रहते हैं और उनकी चक्रीय व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं आता है, तो प्राकृतिक सन्तुलन बना रहता है और गाँवों के लोग पर्यावरण संरक्षित करते हुए तरक्की कर रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा उनका नवीनीकरण बाधित न हो। पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य है "विनाशरहित विकास"। आज पर्यावरण का संरक्षण और सतत् विकास आवश्यक हो गया है। और वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, सम्मेलनों व संगोष्ठियों व विशेष वर्षों व सामूहिक चर्चाओं द्वारा सम्पूर्ण जनमानस को पर्यावरण चेतना के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा भारतीय संविधान में भी पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा के सम्बन्ध में वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के अन्तर्गत राज्य एवं नागरिकों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 48(क), अनुच्छेद 48 क(ख) अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क(ख) आदि अनुच्छेदों

के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को यह मूलभूत दायित्व सौपा गया है कि सुरक्षा एवं संवर्द्धन के लिए प्रयत्नशील रहे। अतः इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए संविधान के प्रावधानों अधिनियमों एवं कानून निर्माण के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, जिसके विभिन्न पक्ष होने चाहिए, जैसे सेमीनार, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताओं का आयोजन, शिक्षण संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं एवं समाज सेवी संगठनों द्वारा पर्यावरण जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता एवं पर्यावरण जागरूकता के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार पर्यावरण और महिलाएं परस्पर एक दूसरे से यथार्थ रूप से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्पूर्ण भारत वर्ष में महिलाओं द्वारा समय-समय पर आन्दोलन चलाकर आम नागरिकों को पर्यावरणीय चेतना का सन्देश दिया गया। जिसके अन्तर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए महिलाओं द्वारा किये गये प्रमुख आन्दोलनों का संक्षिप्त परिचय निम्न है :-

भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में जोधपुर जिले में 1730 ई. में महिलाओं के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाये गये खेजड़ी आन्दोलन द्वारा जो सराहनीय योगदान दिया गया वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जिसके अन्तर्गत खेजड़ली गाँव में अमृतादेवी के नेतृत्व में महिलाओं ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया था। इस आन्दोलन में गाँव के कुल 363 विधेनोईयों (69 महिलाएं और 294 पुरुष) ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अतः इस प्रकार इस आन्दोलन में महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सम्पूर्ण जनमानस को पर्यावरणीय चेतना का सन्देश दिया। इसके पश्चात् भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए महिलाओं द्वारा 1973-74 में भारत के उत्तराखण्ड राज्य में सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा प्रारम्भ किये गये चिपको आन्दोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इस आन्दोलन में उत्तराखण्ड की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में विशेष रूप से 1974 में भाग लिया। जिसके अन्तर्गत महिलाओं ने चमोली जिले में वृक्षों से चिपक कर उनको काटने से रोका। इस आन्दोलन में समाज के सभी वर्गों के स्त्री पुरुष शामिल थे, परन्तु इस आन्दोलन महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण रही। सन् 1987 में इस आन्दोलन को सम्यक् जीविका पुरस्कार (राइट लाइवली हुड पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।

इसी क्रम में लगभग 1980 में चिपको आन्दोलन के प्रारम्भ एवं विकास की भांति उत्तराखण्ड में सुरक्षित पर्यावरण के लिए अल्मोड़ा जिले में खनन विरोधी आन्दोलन विकसित हुआ। कई वर्ष पूर्व कानपुर के एक ठेकेदार ने सरकार से अल्मोड़ा के खिराकोट गाँव के क्षेत्र में खड़िया मिट्टी की खुदाई का पट्टा लिया था लेकिन इस गाँव की स्त्रियों ने खुदाई के दुष्प्रभाव को देखा कि खान का कचरा उनके संरक्षित वन को नष्ट कर रहा है। वर्षों के दिनों में खादान की यह धूल बहकर खेतों में पहुँच जाती है तथा उनमें पत्थर की तरह जम जाती है जिससे

खेतों की जुताई असंभव हो जाती है तो गाँव की सभी स्त्रीयों ने संगठीत होकर खान में काम करने से मना कर दिया तथा पुरुषों पर भी खान में काम बंद करने का दबाव डाला और ठेकेदार के विरुद्ध आन्दोलन करते हुए अपने उदगार को इन शब्दों में व्यक्त किया कि “उनकी खुदाई हमारी जिंदगी को तबाह कर रही है, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है हम उन्हें कैसे खुदाई करने दे” ठेकेदार ने स्त्रियों के आन्दोलन को कुचलने के लिए अनेक उपक्रम किए लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी बल्कि अदालतों के माध्यम से भी महिलाओं की लड़ाई जारी रही। लगभग दो वर्षों के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने गाँव का दौरा करने और होने वाले नुकसान को अपनी आँखों से देखने की रजामंदी दी तथा मौका मुआयना करने के पश्चात् जिलाधिकारी इतने द्रवित हुए कि उन्होंने फौरन मुकदमा निरस्त कर दिया और महिलाएँ मुकदमा जीत गईं और सन् 1982 के आखिरी दिनों में औपचारिक रूप से खुदाई कार्य बंद कर दिया गया।

इसी क्रम में अगस्त 1982 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में भी अपिको आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जोकि उत्तरी भारत के चिपको आन्दोलन से प्रेरित था। कन्नड़ भाषा में अपिको का अर्थ होता है “आलियान करों”। अपिको आन्दोलन के माध्यम से महिलाएँ मानव को यह सन्देश दे रही थी कि वृक्षों को बचाओ, बढ़ाओ ताकि वृक्ष मानव को बचा सके, बढ़ा सके। इसका मूल उद्देश्य वनारोपण विकास तथा वन संरक्षण रहा है इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराकाशी की महिलाओं “रक्षा सूत्र आन्दोलन का सूत्रपात करते हुए पेड़ों पर “रक्षा धागा” बांधते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया तथा उत्तराकाशी की महिलाओं द्वारा संचालित इस आन्दोलन ने पूरे भारत वर्ष के नागरिकों में पर्यावरण चेतना के बीज बोने का कार्य किया तथा उत्तराखण्ड में ही एक अन्य आन्दोलन मेती आन्दोलन हुआ जिसमें महिलाओं की पर्यावरण चेतना के लिए किए गए कार्यों में अहम भूमिका रहीं।

सन् 1984 की भोपाल त्रासदी से गैस पीड़ित महिलाओं द्वारा व्यापक आन्दोलन का उदय हुआ। दो और तीन दिसम्बर सन् 1984 की रात को बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कम्पनी यूनियन कार्बाइड के स्वामित्व वाले भोपाल कीटनाशक संयंत्र से लगभग 20 टन मिक् (मिथाइल आइसोसायनेट) गैस बह गई। जिसके परिणामस्वरूप आज के सरकारी आंकड़े के अनुसार 4000 से अधिक 50000 लोगों के नपुंसक होने की बात स्वीकार करते हैं। यह गैस निर्गम तथा अदृश्य है इस लिए अनुमानतः भोपाल के लगभग सारे पुराने शहर में गैस फैल गई थी।

प्रारम्भ से ही केवल गैस पीड़ित महिलाएँ ही राहत चिकित्सा तथा सूचना सम्बन्धी अभियान में सर्वाधिक सक्रिय रही और आगे चलकर पीड़ित महिलाओं का संगठन जो कि बाद में आन्दोलन के मुख्य सूत्रधार के रूप में उभरा, वह गैस पीड़ित उन महिलाओं का संगठन था जो वहाँ सरकारी पुनर्वासीय प्रशिक्षण केन्द्र में सिलाई केन्द्रों में कार्यरत थी। ये केन्द्र सरकार द्वारा खोले गए और इन्होंने लगभग 2000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। कुछ समय बाद सरकार ने घोषणा की कि वह इन केन्द्रों

को बंद करने जा रही है। इसके विरोध में महिलाओं ने इन केन्द्रों पर कब्जा कर लिया और उनका यह विरोध खत्म होने में एक महीना लग गया जिसकी परिणति भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की स्थापना के रूप में हुई। जब भारत सरकार यूनियन कार्बाइड के साथ एक शर्मनाक समझौता करती दिखाई पड़ी तो संगठन ने समझौते विरोध में व्यापक अभियान शुरू किया जिसके अन्तर्गत प्रदर्शनों, मुकदमों बाजी, प्रचार तथा अभिप्रेरण आदि रणनीतियाँ प्रयोग की गईं और अन्त में 1989 नई सरकार के चुनाव के साथ ही महिला संगठन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी।

इसी क्रम में सन् 1985 मेघा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा घाटी की जैव विविधता को बचाने तथा मूल आदिवासियों के सांस्कृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए नर्मदा बचाओ आन्दोलन चलाया जा रहा है जिसके साथ अब अरुंधति राय भी हो गई है। इस प्रकार सामान्यतः पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्पूर्ण भारत वर्ष में महिलाओं द्वारा अनेक आन्दोलन चलाकर पर्यावरणीय चेतना के प्रति जागरूकता का जो सन्देश दिया वह अतिसराहनीय कार्य था। प्रस्तुत प्रकरण “भारत में पर्यावरणीय आन्दोलन एवं महिला नेतृत्व” पर अपने निर्देशक के मार्गदर्शन व अपने गहन अध्ययन तथा विश्लेषात्मक दृष्टिकोणों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति महिलाओं की भागीदारी व उनके द्वारा सम्पूर्ण भारत को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की भूमिका को समकालीन समाज से जोड़े जाने का प्रयास है। लेकिन इसके अतिरिक्त अध्ययन के और भी उद्देश्य है जो कि निम्न प्रकार से उल्लेखित है:

1. पर्यावरण के विभिन्न घटकों का मानव क्रिया-कलापों पर प्रभाव का ज्ञान प्रदान करना।
2. पर्यावरण के प्रति जन-चेतना जागृत करना तथा इसके प्रति अवबोध विकसित करना।
3. पर्यावरण और महिलाओं की पारस्परिक सम्बन्धता बताना।
4. पर्यावरण व वन्य जीव रक्षा के पुनीत कार्यों में महिलाओं की सक्रियता से समकालीन विश्व को अवगत कराना।
5. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी द्वारा किए गए कार्यों की वर्तमान में महत्ता बताना।
6. भारत में सुरक्षित पर्यावरण के लिए महिलाओं द्वारा किए गए विभिन्न आन्दोलनों की समकालीन समाज में प्रासंगिकता को उल्लेखित करना।
7. वैश्विक स्तर पर वंगारी मथाई द्वारा चलाए गए “ग्रीन बेल्ट आन्दोलन” की महत्ता के आधार पर 21वीं सदी के विश्व को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
8. वर्तमान में बढ़ते हुए वैश्विक तपन (ग्लोबल वार्मिंग) को रोकने में पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता का स्पष्टीकरण करना।

#### निष्कर्ष

पर्यावरण के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के अन्तर्गत बहुत-सी दशाओं का समावेश है। इसके अन्तर्गत वे सभी वस्तुएँ और दशाएँ सम्मिलित हैं

जिनका हम अपने चारों ओर अनुभव करते हैं। इस जटिल समग्रता को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पर्यावरण में सम्मिलित की जाने वाली सभी दशाओं का संक्षेप में विश्लेषण करें।

#### सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. बी.एल.गर्ग, पर्यावरण प्रकृति और मानव, शब्द साधना,, अजमेर, प्रथम संस्करण 2003
2. डी.डी. ओझा, पर्यावरण अवबोध, पवन कुमार शर्मा, साइंटिफिक पब्लिशर्स, जोधपुर, 1999
3. डॉ. गोविन्द चातक, पर्यावरण और संस्कृति का संकट, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1991
4. एच.एम. सक्सेना, पर्यावरण तथा परिस्थितिकी भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1994
5. डॉ. बनवारी लाल सहू, पर्यावरण संरक्षण एवं खेजड़ी बलिदान, बोधि प्रकाशन जयपुर 302015 द्वारा प्रकाशित 1997
6. सिंह, राजीव कुमार, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2009
7. यादव, वीरेन्द्र सिंह, 21वीं सदी का पर्यावरण आन्दोलन : चिन्तन के विविध आयाम, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
8. सक्सेना, एच.एम., पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2009
9. शर्मा, डॉ. मालती, पर्यावरण अध्ययन, शिवांक प्रकाशन, दिल्ली प्रथम संस्करण, 2011

#### पत्र-पत्रिकाएं

1. दैनिक शस्कर, जयपुर
2. दैनिक जागरण, नई दिल्ली
3. दी हिन्दू समाचार पत्र कस्तूरबा एण्ड सन्स लिमिटेड, नई दिल्ली
4. कुरुक्षेत्र प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली